Mail ID: zdr_arsb@yahoo.com फोन न. 02962-280070 फेक्स न. 02962-260013 (का.)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, दाहोद रोड़, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा (राज.) 327 001

क्रमांक : एफ () / कृअके/स्टोर/2026/270-74 दिनांक : 19/02/2026

चना की नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, बोरवट फार्म, बाँसवाड़ा पर ग्रेडेड चना लगभग 75.20 क्विंटल मय बारदान की नीलामी हेतु दरे बंद लिफाफे में दिनांक 25/02/2026 को दोपहर 01.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है तत्पश्चात उसी दिन कमेटी के समक्ष दोपहर 02:00 बजे लिफाफे खोले जाएगे। अतः इच्छुक व्यक्ति / ठेकेदार धरोहर राशि रू 6000/- नगद के साथ बंद लिफाफे में दरे भरकर निश्चित तिथि, समय एवं स्थान पर नीलामी में उपस्थित होवे। उच्चतम दर जिस निविदादाता की होगी, उसे निविदा की कुल राशि का 50 प्रतिशत तुरन्त जमा करवाना होगा एवं शेष 50 प्रतिशत राशि का चैक देना होगा। सम्पूर्ण राशि जमा होने के बाद ही उक्त चना को ले जाने की स्वीकृति प्रदान कि जायेगी। विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय समय में सम्पर्क करे।

संभागीय निदेशक अनुसंधान

Office of Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur

Ref No./ e-NAM / 2025-26 / 883-91 Dated:- 13/02/2026

NIB NO.: 02 / 2025-26 DATED : 13-02-2025

E-Bids are invited from **Manufacturers/ Direct importers/ Authorized Dealer up to 5.00 P.M. of 24.02.2026** for procurement of **Cleaning, Grading Unit for Fruits and Vegitable for E-nam Scheme** on behalf of office of the **Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur.** Details may be seen in the Bidding Document at the office of the **Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V)** Udaipur or State Public Procurement Portal website **"sppp.raj.nic.in"** or **"https://eproc.rajasthan.gov.in"** or website **"www.mandi.agriculture.rajasthan.gov.in"** The bidding document may be downloaded from either of the above websites and uploaded duly filled in with payment of Rs. 500/- through banker's cheque /demand draft in favour of **Secretary, Krishi Upaj Mandi Samiti (F&V) Udaipur** at Udaipur Details of bid are following:-

S.No.	BID Title	UBN No
1	Cleaning, Grading Unit For Fruits And Vegetables	DAM2526GLOB01209

Secretary
Krishi Upaj mandi
Samiti (F&V) Udaipur

Raj.Samwad/C/25/20863

राजस्थान सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक-F.32 (B) (After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/713 दिनांक-20 02.2026

मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-नीलामी आमंत्रण सूचनाः-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार की आज्ञा क्रमांक प.4 (1) वित्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी, 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संयम नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नीलामी के लिये विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती हैः-

क्र.सं.	नीलामी की दिनांक	नीलामी का समय
1	06-03-2026	प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे तक

1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट https://iems.rajasthan.gov.in से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑक्शन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार दिनांक 20.02.2026 प्रातः 11.00 बजे से एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाइन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल https://sso.rajasthan.gov.in पर "Citizen" केटेगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एव उसके पश्चात् जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अनन्त विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रू. 10,000/- अथवा रू. 10,000 के गुणांक मे बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नही लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जिलेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राईस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का चयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि यथासंभव नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक https://iems.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भुगतान द्वारा इस वेबसाईट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगे। ऑनलाईन भुगतान नही होने या अन्यथा तकनीकी कारणों से निर्धारित राशियां जमा नही होने के कारण बोली में भाग नही ले पाने के लिये आवेदक स्वंय जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन निलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिर्जव प्राईस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आवेदन के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Dynamic Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशियाँ यथा-धरोहर राशि, अठिाम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जप्तराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञधारियों को वर्ष कमशः 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञापत्र नवीनीकरण का अवसर दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाईट https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश, प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों, आबकारी एवं मध्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्ध करने की योग्यता रखते हो। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश https://iems.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जोन, जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 एवं इसके अन्तर्गत बने नियम के अनुसार रहेगे।

DIPR/C/3631/2026 **आबकारी आयुक्त, राजस्थान**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर (राईस) द्वारा संचालित

कार्यालय प्रधानाचार्य देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय देवलेन जिला करौली

ई-मेल-SHRAWANGARGSITAPUR@GMAIL.COM, Mob. 9166232666

क्रमांक-निविदा/2025-26/583 दिनांक- 12.02.2026

खुली निविदा सूचना संख्या- 08/2025-26

राजस्थान रेजिडेन्सियल एजुकेशन इन्सटीट्यूशनल सोसायटी (राईस) जयपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संचालित देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय, देवलेन जिला करौली में Rajasthan Transparency in Public Procurement Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurement Rule 2013 एवं मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के संबंध में वित विभाग के आदेश कमांक एफ.2 (1) वित्त / एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.04.2018, 09.07.2021 एवं एफ2 (1)/एफडी/एसपीएफसी/2017 दिनांक 14.11.2018 के तहत् विविध मानव सेवा (चौकीदार, प्लम्बर व इलेक्ट्रिशियन, मैस कर्मी (हेड कुक, कुक), सफाईकर्मी, बागवान, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं प्रयोगशाला सेवक कार्य) की सेवाएं कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष के लिए जॉब बेसिस पर उपलब्ध क्रवाये जाने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं/स्वयं सहायता समूहों / संवेदकों से निम्नानुसार ई निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं।

क्र. सं	जॉब बेसिस कार्य का नाम	स्वीकृत छात्रा संख्या	कार्मिकों की संख्या	अनुमानित राशि (लाखों में)	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा प्रोसेसिंग राशि	अमानता राशि (2 प्रतिशत)
1	चौकीदार-4, प्लम्बर व इलेक्ट्रिशियन-1, गैस कर्मी (हेड कुक-1, कुक-4), सफाईकर्मी-3. बागवान-1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी-3 एवं प्रयोगशाला सेवक-2	280	19	27 लाख	1000/-	500/-	54000/-
2	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डेटाशीट इत्यादि डाउनलोड करने की तिथि व समय						13.02.2026 बजे दोपहर 01
3	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय						13.02.2026, बजे दोपहर 01
4	ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से निविदा प्रपत्र बिड डेटाशीट अपलोड करने की अंतिम तिथि व समय						23.02.2026 बजे दोपहर 02
5	अमानता राशि, निविदा शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क एवं निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय						23.02.2026 सांय 04 बजे
6	तकनीकि निविदा खोलने की तिथि व समय						24.02.2026 प्रातः 11 बजे

ऑनलाइन बिडिंग के लिये निविदादाता का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर होना आवश्यक है। निविदा दस्तावेज मय शर्तें www.eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी निविदा उन्हीं निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 23.02.2026 को सांय 04 बजे तक निविदा प्रतिभूति राशि 54000/- रु. के डिमाण्ड ड्राफ्ट (Principal Devnarayan Govt. Girls Residential School Devlen, Karauli के नाम) एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 1000/-रू के डिमाण्ड ड्राफ्ट / ई-ग्रास भुगतान चालान (Principal Devnarayan Govt. Girls Residential School Devlen, Karauli के नाम) तथा ई. निविदा प्रोसेसिंग प्रक्रिया शुल्क 500/-रू के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-ठास भुगतान चालान Managing Director RISL jaipur (payable at jaipur) के नाम कार्यालय में बंद लिफाफे में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिशः मूल जमा करवाये हो। तकनीकी / वित्तीय निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने अथवा तकनीकी समस्या होने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जायेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्तारकर्ता को होगा। निविदा प्रपत्र में वांछित समस्त कॉलमो की पूर्ति अनिवार्य होगी। किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार उपापन समिति को होगा। निविदा प्रपत्र को वेबसाइट htpp://eproc.rajasthan.gov.in एवं htpp://sppp.rajsthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओ में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा इलैक्ट्रोनिक फार्मेट में वेबसाइट htpp://eproc.rajasthan.gov.in पर जमा करवानी होगी। निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्तें कार्यालय में कार्यालय समय एवं www.eproc.rajasthan.gov.in एवं sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

UBN NO- SOC2526SLOB00412
NIB - SOC2526A0383
DIPR/C/3493/2026

प्रधानाचार्य
देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय
देवलेन, जिला करौली

पालरा औद्योगिक क्षेत्र में सॉस फैक्ट्री पर कार्रवाई

अजमेर । खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त टी. शुभमंगला, राजस्थान जयपुर के निर्देश तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ज्योत्सना रंगा के आदेशों की अनुपालना में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जिले में विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पालरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स डी के एस फूड्स का निरीक्षण किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी केसरी नंदन शर्मा और राजेश कुमार त्रिपाठी द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान स्नेक सॉस (एपिक ब्रांड) के दो नमूने जांच के लिए लिए गए। जयपुर मुख्यालय से पूर्व में इसी ब्रांड की स्नेक सॉस का नमूना अनसेफ पाए जाने के बाद संबंधित सामग्री को रिकॉल करने और बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए थे। निरीक्षण के दौरान शेष 7600 किलोग्राम सॉस को जांच रिपोर्ट आने तक बिक्री हेतु रोकते हुए सीज कर दिया गया। संबंधित बैच का पूर्व में अनसेफ पाया गया स्टॉक मौके पर नहीं मिला। निर्माता को निर्देशित किया गया कि वह संबंधित बैच की समस्त सामग्री को होलसेलर एवं रिटेलर से तत्काल वापस मंगवाए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने पालरा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित मैसर्स डी के एस फूड्स का निरीक्षण किया।

■ **7600 किलो स्टॉक सीज किया**

मौके पर फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट, पेस्ट कंट्रोल और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाए गए, जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जाएगा। विभाग द्वारा जिले में खाद्य नमूनीकरण और निरीक्षण की कार्रवाई निरंतर जारी है।

दूषित मिल्क केक नष्ट करवाया

सीकर (निसं)। खाटूश्यामजी के लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं का शुद्ध व ताजा खाद्य सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार खाद्य वस्तुओं के प्रतिष्ठानों का निरीक्षण एवं खाद्य सामग्री की जांच की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अशोक महरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा लगातार वस्तुओं की जांच व प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा रहा है। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने रींगस में 394 किलोग्राम मिल्क केक और 70 किलोग्राम अवधिपार खाद्य सामग्री नष्ट करवाई । खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया और सुरेश कुमार शर्मा ने पिकअप गाड़ी द्वारा खाटू मेले में सप्लाई किए जा रहे मिल्क केक एवं मावे की मिङ्गाई के सैम्पल लेकर मिलावट की आशंका पर 394 किलोग्राम मिल्क केक व मावा मिङ्गाई को वाहन चालक निहानचंद निवासी घासौली जिला खैरथल तिजारा की सहमति से जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर नष्ट करवाया। साथ ही मिल तिराह, बीकानेर बस स्टैण्ड पर खाद्य वस्तुओं की दुकानों का निरीक्षण किया।

पंजाब ने दिया पानी का झटका, जैसलमेर तक असर, किसान धरने पर

बीकानेर । पश्चिमी राजस्थान में फसलें पकाव पर हैं और ऐसे में अचानक से पंजाब ने राजस्थान के किसानों को पानी का जोर का झटका दिया है। इसका असर हनुमानगढ़ - श्रीगंगानगर से लेकर बीकानेर और जैसलमेर तक पहुंचा है। जैसलमेर में तो पानी की मांग को लेकर किसान धरने तक आ गए।

दरअसल इन दिनों गेहूं, जौ, चना, सरसों समेत रबी की तमाम फसलें पकाव हैं।पछेती फसलों को आखिरी पानी की जरूरत है। उसके लिए पानी की मांग भी बढ़ गई। किसानों को 3 समूह की बारी में पानी मिल रहा है मगर बीते एक सप्ताह से पानी का ऐसा झटका लगा कि किसान तिलमिला गया। किसानों की बारियां पिट गई। वो भी ऐसे मौके पर जब फसलों को आखिरी पानी चाहिए। पानी कम मिलने की वजह पंजाब की सरहिंद फीडर की मरम्मत बताई जा रही है। दरअसल पंजाब इन दिनों सरहिंद फीडर की मरम्मत कर रहा है। इसलिए वो नहर पूरी तरह खाली करनी पड़ी। क्योंकि दोनों नहरें बराबर पर चलती है इसलिए दूसरी नहर में पानी का ज्यादा दबाव दिया नहीं जा सकता इसलिए पंजाब ने राजस्थान फीडर में अचानक पानी कम कर दिया। इतना कम कर दिया। राजस्थान को तीन समूह के लिए 7600 क्यूसेक की जगह आधा ही पानी मिला। 3हजार से 3500 क्यूसेक के करीब ही पानी मिला। ऐसे में बारियां पिटनी थी।

कई दिनों तक बारियां पिटने का असर ये हुआ कि किसान सड़क पर आ गया क्योंकि पूरी मेहनत के बाद जब फसल पकाव पर हो और उस वक्त पानी कम होने से फसलें सूखती हैं तो किसान की पूरी मेहनत बेकार जाती है। हालांकि गुरुवार से पानी की स्थिति में सुधार तो हुआ है मगर हरिके से छोड़े गए पानी का तत्काल असर अंतिम छोर तक नहीं होता। धीरे-धीरे असर होना शुरू तो हुआ मगर पूरी तरह होने में दो-चार दिन और लगेंगे।

20 फरवरी से नहर की अंतिम बारी सिंचाई का पानी मिलना शुरू होगा। इससे प्रत्येक किसान को एक-एक बारी ही पानी मिलेगा। क्योंकि अब सरसों, चना की कटाई शुरू हेा गई इसलिए ज्यादातर गेहूं और जौ के लिए ही पानी की जरूरत पड़ेगी। फिर भी भले ही जरूरत आगे हो मगर 20 फरवरी के बाद सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। सिंचाई का पीन तो नहरबंदी से एक सप्ताह पहले ही इसलिए बंद हो जाएगा क्योंकि फिर पीने के पानी का भंडारण होगा। 20 मार्च से नहरबंदी है ऐसे में तब पीने के पानी की प्राथमिकता रहेगी।

कुकर्म करने वाले को 20 साल की सजा

चूरू, (कासं)। पोक्सो कोर्ट चूरू के न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता (जिला न्यायधीश संवर्ग) ने आज एक फैसला सुनाते हुए 13 वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने वाले गिरधारी लाल को 20 साल के कङ्गोर कारावास की सजा से दंडित किया है।अभियुक्त गिरधारी लाल पुत्र भैराराम उम्र 31 साल निवासी दूंकर पुलिस थाना बीदासर ने 6 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे एक नाबालिग को बुलाकर अपनी गाडी में बैङ्गा लिया और उसे कोडासर रोड पर एक खेत में ले गया। वहां उसे जबरदस्ती शराब पिलाई। उसके बाद मारपीट करके उसके साथ कुकर्म किया। गिरधारी लाल के साथ एक छोटी लड़की थी। गिरधारी लाल फोन पर बात कर रहा था, तब वह गाडी से उतर गया। पीड़ित के परिजनों ने बीदासर थाना में गिरधारी लाल के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।आज न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए गिरधारी लाल पुत्र भैराराम निवासी दूंकर पुलिस थाना बीदासर को 20 साल के कङ्गोर कारावास से दंडित किया है। राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक हेम सिंह शेखावत ने की।

जाली नोट गिरोह के तीन आरोपी गिरफ्तार

जयपुर/झालावाड़ (निसं)। राजस्थान में जाली मुद्रा के अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान को झालावाड़ जिले के की मनोहर थाना पुलिस टीम ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान जाली नोटों का चलन करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 500-500 के कुल 103 जाली नोट बरामद किए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि सफलता यह कार्रवाई उस समय हुई जब मनोहर थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम दांगीपुरा जोड़ पर मुस्तैदी से नाकाबंदी कर रही थी। इसी दौरान अकलेरा रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध युवक आते दिखाई दिए। पुलिस की मौजूदगी देख आरोपियों ने भागने की कोशिश की और मोटरसाइकिल घुमाने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस जाब्ते ने घेराबंदी कर उन्हें मौके पर ही डिटेन कर लिया।

संदेह होने पर जब तीनों युवकों की गहनता से तलाशी ली गई तो उनके पास से भारतीय मुद्रा के 500 मूल्य के 103 जाली नोट बरामद हुए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नकली नोटों की खेप और परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कमल सिंह तंवर (30), रामचरण उर्फ कालू तंवर (35) निवासी दांगीपुरा और देव सिंह तंवर (30) निवासी मनोहर थाना के रूप में हुई।

इस पूरे मामले में कांस्टेबल तेजाराम की विशेष और सक्रिय भूमिका रही, जिनके इनपुट से इस नेटवर्क को तोड़ना संभव हो सका। फिलहाल थाना झालरापाटन में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन नकली नोटों की छपाई कहाँ हो रही थी और इनके तार और किन-किन गिरोहों से जुड़े हैं।

■ **पांच-पांच सौ रुपये के 103 जाली नोट बरामद**

फिरौती मांगने के 5 आरोपी पकड़े

डूंगरपुर, (निसं)। दोवड़ा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त कर ली है। दोवडा थानाधिकारी ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को एक महिला की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसमें बताया की उनका पुत्र 23 अक्टूबर की शाम पाटीदार समाज की कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने कोलखण्डा गया था। मैच खत्म होने के बाद सफेद कार में आए कुछ युवकों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोप है कि उसे अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर मारपीट की गई और फोन पर परिजनों से 1.20 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। डरे परिजनों ने आरोपियों की ओर से भेजे गए स्कैनर पर 70 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। बाद में आरोपी युवक को रायणा गांव के पास घायल अवस्था में छोडकर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी मनीष कुमार ने जांच के निर्देश दिए। थानाधिकारी दोवडा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी भावेश पाटीदार और ललित पाटीदार को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त कार जब्त की गई है। इसके बाद लोकेशए वैभव और जितेन्द्र उर्फ जितु को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है।

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति 'विशिष्ट' श्रेणी, नागौर. (राज.)

क्रमांक : 20571218 दिनांक : 16.02.2026

निविदा आमंत्रित सूचना वर्ष 2026-27(कम्प्यूटर ऑपरेटर)

कृषि उपज मण्डी समिति, नागौर में निम्न निविदाओं की जिसकी अनुमानित लागत 25.00 लाख रूपये है। राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी), आयकर (पैन नम्बर), राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत संवेदकों / संस्थाओं से ठेका पद्धति पर वार्षिक दर अनुबन्ध के आधार पर शर्तरहित निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका NIB NO. DAM2526A0735 व **UBIN NO. DAM2526SLRC01224** है।

जिससे सम्बन्धित विस्तृत विवरण **http://www.sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा व डाउनलोड की जा सकता है।

राज.संवाद / सी / 25 / 20912 **सचिव**

कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति समरानियां जिला बारां (राज.)

क्रमांक :- 587-94 दिनांक :- 16.02.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति, समरानियां द्वारा चौकीदारी व्यवस्था, सफाई व्यस्था, जल व्यवस्था, कम्प्यूटर ऑपरेटर विद मशीन व्यवस्था, प्रकाश रखरखाव व्यवस्था एवं कियोस्क ठेका हेतु रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित फर्मों / अधिकृत डीलरों / विक्रेताओं से निर्धारित प्रपत्र मे ई-प्रोक्योरमेंट / एस.पी.पी.पी पोर्टल (**www.eproc.rajasthan.gov.in/ www.sppp.rajasthan.gov.in**) के माध्यम से ऑनलाईन / ऑफलाईन निविदाऐं दिनांक 04.03.2026 को साय 6:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण **www.sppp.rajasthan.gov.in/www.eproc.rajasthan.gov.in** व विभागीय पोर्टल **agriculture.rajasthan.gov.in/mandi** पर भी देखी जा सकता है। निविदा की अनुमानित कुल लागत 55.50 लाख रु0 है।

NIB Code No. -: DAM2526A0727
UBN NO -: DAM2526WSOB01216 NIB Code No. -: DAM2526A0728
UBN NO -: DAM2526WSOB01217 NIB Code No. -: DAM2526A0729
UBN NO -: DAM2526WSOB01218
NIB Code No. -: DAM2526A0730
UBN NO -: DAM2526WSOB01219 NIB Code No. -: DAM2526A0731
UBN NO -: DAM2526WSOB01221 NIB Code No. -: DAM2526A0732
UBN NO -: DAM2526WSOB01222

राज.संवाद / सी / 25 / 20910 **सचिव**

THE BAR COUNCIL OF RAJASTHAN

Rajasthan High Court Campus, Jhalamand, Jodhpur - 342016
Email: secretary@barcouncilofrajasthan.org, Web: www.barcouncilofrajasthan.org
Phone : 0291-2545066, 2545251

Ref.No. BCR/Not.1/Elect/Ju/2026/01 Dated : 20-02-2026

Bar Council Rajasthan Election Notification, 2026

The Bar Council Rajasthan is hereby notified in terms of Order dated 18th November, 2025 of the Hon'ble Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No.1319/2023 titled as M. Varadhan vs. Union of India and Ors. The Schedule of the Election is as under: -

1	Date of Election Notification	20th February, 2026
2	Preparation and Publication of Provisional electoral rolls	07th March, 2026
3	Inviting objections to the electoral rolls	08th March, 2026 to 14th March, 2026
4	Publication of final electoral rolls	21st March, 2026
5	Receipt of Nominations at the Office of Bar Council of Rajasthan at Jodhpur (Physical mode or by Regd. AD/Speed Post mode)	22nd March, 2026 to 28th March, 2026 10:00AM to 05:00 PM
6	Scrutiny of nomination documents	29th March, 2026 & 30th March, 2026
7	Publication of list of candidates	30st March, 2026
8	(I) Total number of seats (ii) Number of seats for which election is to be held (iii) To be co-opted (iv) Minimum number of seats that have to be filled from amongst the advocates who have been on the State Rolls for at least 10 years (v) Minimum number of seats that have to filled from amongst the Women candidates	25 seats 23 seats 02 seats 12 seats 05 seats
9	Last date of withdrawal of candidature	31st March, 2026 to 2nd April, 2026 upto 05:00 PM
10	Publication of the final list of candidates	2nd April, 2026 After 05:00 PM
11	Elections as per preferential system of votes (Date of Polling)	22nd April, 2026 10:00 AM to 05:00 PM
12	Assembling of Ballot Boxes	22nd April, 2026 to 28th April, 2026
13	Scrutiny of Ballot Boxes and counting of votes	29th April, 2026
14	Publication of result	On completion of counting

Rajasthan Bar Council is directed to take appropriate steps for publication of this notice in the Official Gazette and two newspapers. Rajasthan Bar Council shall put this notification on the website of the Bar Council of Rajasthan as well as on the notice board of Bar Council of Rajasthan and Bar Associations.

Note : (i) Nomination forms shall be available for sale at the office of Bar Council of Rajasthan at Jodhpur on payment of Rs. 5,000/- (Rupees Five Thousand Only). Maximum 4 (four) nomination papers will be issued per candidate.

(ii)Every nomination paper shall be accompanied by a non-refundable fee. of Rs. 1,25,000/-(Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only) by way of Bank Draft/ Bankers Cheque in favour of "BAR COUNCIL OF RAJASTHAN' payable at Jodhpur or online.

(iii)An Advocate belonging to the specially abled category contesting the Election of the Bar Council shall be required to pay a symbolic nomination fee of Rs. 15,000/- (Rupees Fifteen Thousand Only) by way of Bank Draft/ Bankers Cheque in favour of "BAR COUNCIL OF RAJASTHAN" payable at Jodhpur or online instead of Rs. 1,25,000/- (Rupees One Lakh Twenty-Five Thousand Only), as per Order dated 5th January, 2026 passed by the Hon'ble Supreme Court of India, in Pankaj Sinha vs. Bar Council of India & Ors. in Writ Petition(s) (Civil) No.(s) 1261/2025.

(iv)There shall be no separate ballot paper for the women advocates contesting the Election of Bar Council of Rajasthan, as per Order dated 16th January, 2026 of the Hon'ble Supreme Court of India.

Vikas
Acting Secretary,
Bar Council of Rajasthan
Issued with the approval of
High-Powered Election Committee

Approved by Committee
on 18th February, 2026

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

ई- अल्पकालिक निविदा सूचना संख्या- 21 (2025-26)

केंद्र / राज्य सरकार के विभागों एवं रा. रा. वि. प्र.नि.लि. के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत / मान्य व अनुभवी निविदाकारो से ई अल्पकालिक निविदा सूचना संख्या-21(2025-26) के क्र0 स0 01 अधिशाषी अभियन्ता (सिविल), रा0रा0वि0प्रसा0नि0लि0 हनुमानगढ के अन्तर्गत कार्यो हेतु प्रोक्यूरमेंट प्रकिया हेतु ऑनलाईन निविदा, आमंत्रित की जाती हैं। इन कार्यो की अनुमानित लागत, निविदा शुल्क, निविदा बेचे जाने तथा खुलने की तारीख, धरोहर राशि व निविदा विशिष्टियां आदि का सम्पूर्ण विवरण वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.nic.in & www.rvpn.co.in पर देखा जा सकता है।

VPN2526WSOB02879
Raj.Samwad/C/25/20905 RRVPN/TR-7389/2026 **अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) बीकानेर**

राजस्थान सरकार
कृषि